भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1871
बुधवार, 10 मार्च, 2021/19 फाल्गुन, 1942 (शक)

असंगठित क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना

1871. श्री के.पी. मुन्नुस्वामीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों विशेषतः तमिलनाडु में ऐसे लोगों के लिए कोई आकस्मिक निधि जारी की है जिन्होंने लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात् अपनी नौकरियां गंवा दी है;
(ख) यदि हां, तो जारी की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने मार्च, 2020 से आज की तारीख तक असंगठित क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): कोरोना वायरस का सामना करने के लिए सरकार ने निर्धनों की सहायता हेतु 26.03.2020 को 1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज "प्रधान मंत्री गरीबी कल्याण योजना" की घोषणा की थी। भारत सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत भी विभिन्न कदम उठाए है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत, तीन माह के लिए प्रति माह 5 कि.ग्रा. गेहूं अथवा चावल एवं 1 कि.ग्रा मनपसंद दाल मुफ्त; पीएमजीकेएवाई योजना को बढ़ाकर नवम्बर 2020 के अंत तक कर दिया गया।
- जनधन खाता धारक महिलाओं को तीन माह के लिए 500 रु. प्रति माह का अनुग्रपूर्वक-अनुदान।
- एमएनआरईजीए मजदूरी को 182 रु. प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रु. प्रति दिन करना जिससे 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ हुआ है।
- 3 करोड़ निर्धन वरिष्ठ नागरिकों, निर्धन विधवाओं एवं निर्धन दिव्यांगों को 1,000 रु. का अनुग्रहपूर्वक- अनुदान।

सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में तमिलनाडु सहित देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां तथा सभी क्षेत्रों हेतु रोजगार अवसर सृजित करना तथा सुधार करना शामिल है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) समाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि को बहाल करने हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार दो वर्ष की अवधि हेतु ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है।

प्रधान मंत्री स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/-रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाया है।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्माण कामगारों को भवन एवं निर्माण कामगार कल्याण निधि का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार ने वापास लौट रहे प्रवासी कामगारों सहित और अधिक कार्य आवश्यकता के समाधान के लिए के लिए कुल मिलाकर लगभग 300 करोड़ मानवदिवस सृजित करने के लिए एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत 40,000/- करोड़ रु. अतिरिक्त उद्दिष्ट किए हैं।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई एवं भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने एवं रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

*****